दिल्ली में कुतुब मीनार व लाल किला तथा आगरा में ताजमहल तथा लाल किला देखने आने वाले दर्शकों से प्राप्त राजस्व

2074. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री अचल सिंह :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार तथा आगरा में ताज-महल और लाल किला देखने जाने वाले दर्शकों से वित्त वर्ष 1971-72 में आगरे में लाल किला तथा ताजमहल देखने जाने वाले दर्शकों से सरकार को कितना कितना राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उपरोक्त स्थलों का दौरा करने वाले भारतीय तथा विदेशी दर्शकों की संख्या कितनी कितनी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दर्शकों से किया गया राजस्व निम्नलिखित है :—

1970-71

लाल किला, दिल्ली	रु० 3,83,626.50
कुतुब मीनार, दिल्ली	रु० 1,75,154.50
ताज महल, आगरा	रु० 5,08,383.00
आगरा किला, आगरा	रु० 2,35,514.00

1971-72

ताज महल, आगरा	रु० 4,99,125.50
आगरा किला, आगरा	रु० 2,33,017.00

(ख) टिकटों की बिक्री के आधार पर अनुमानित भारतीय और विदेशी दर्शकों की संख्या निम्नलिखित है :—

1970-71

लाल किला, दिल्ली	767253
कुतुब मीनार, दिल्ली	350309
ताज महल, आगरा	1016766
आगरा किला, आगरा	471028

1971-72

ताज महल, आगरा	998251
आगरा किला, आगरा	466034

इन आंकड़ों में पंद्रह वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल नहीं है जिनको निःशुल्क देखने की अनुमति दी जाती है । उपरोक्त आंकड़ों में शुक्रवारों की, जो कि निःशुल्क प्रवेश दिन है, इन स्मारकों को देखने वालों की संख्या भी शामिल नहीं है ।

सर्वेक्षण स्मारक देखने वाले विदेशियों का अलग से हिसाब नहीं रखता है ।

पुरक्षित स्मारक घोषित किए गए भवनों, मंदिरों और मस्जिदों के रख-रखाव पर खर्च

2075. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किए गए भवनों, मंदिरों और मस्जिदों के रख रखाव पर सरकार द्वारा 1970-71 और 1971-72 के वित्तीय वर्षों में कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) 1972-73 के वित्तीय वर्ष में इस मद पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) प्राचीन स्मारकों की विशेष मरम्मतों तथा उनके अनुरक्षण पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1970-71 — 53.23 लाख रुपये

1971-72 — 66.11 लाख रुपये

(ख) 1972-73 में इस विषय पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि 68.60 लाख रुपये है ।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

2076. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार ने अपने

कर्मचारियों के लिए कितने सरकारी क्वार्टर बनाए तथा उन्हें कितने क्वार्टर अलाट किये गये ; और

(ख) इस समय विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, नागपुर तथा चण्डीगढ़ में सामान्य पूल में विभिन्न टाईपों के 2993 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है तथा 2977 क्वार्टरों का आवंटन किया गया है। कलकत्ते के सम्बन्ध में सूचना मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चण्डीगढ़ तथा बंगलौर में विभिन्न टाईपों के 3829 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त नई दिल्ली में दो-कमरों वाले 64 तथा एक-कमरे वाले बहु—मंजिलें 128 एपार्टमेंट भी निर्माणाधीन हैं। कलकत्ता के सम्बन्ध में सूचना मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गो-वध के बारे में राज्यों को केन्द्र का परामर्श तथा इस बारे में राज्यों के विचार

2077. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गोवध बन्द करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई परामर्श दिया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बीच राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी, हां। जिन राज्यों ने गो-वध आंशिक रूप से निषेध कर दिया है, उनको यह सलाह दे दी गई है कि वे इस वर्तमान कानून के क्षेत्र को व्यापक बनायें और जिन राज्यों ने गो-वध निषेध नहीं किया है उनको संविधान के अनुच्छेद 48 में विहित निदेशी सिद्धान्तों की अनुरूपता में, गोवध निषेध करने के लिये उचित कानून बनाने की सलाह दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II की मद 15 के अन्तर्गत पशुधन के संरक्षण, सुरक्षा और सुधार सम्बन्धी विषय, राज्य विषय है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं को गोवध से सम्बन्धित कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक गो रक्षा समिति का गठन किया गया है जो गो और गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध सहित, गो सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करेगी और इस विषय से सम्बन्धित समस्त पहलुओं, अर्थात् सांविधानिक विधिक आर्थिक और अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार करके गायों, बछड़ों सांड़ों और बैलों के संरक्षण के लिये समुचित व्यावहारिक उपाय करने के लिये विचारार्थ सरकार को सिफारिश करेगी। यह समिति संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों को प्रभाव साधक रूप में कार्यान्वित करने के लिये साधनों का सुझाव देगी और किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार करेगी जिसमें गो और गोवंश पर पूर्ण रोक लगाने के लिये संविधान में परिवर्तन करने का सुझाव दिया होगा।

केन्द्रीय सरकार, समिति की रिपोर्ट जिसकी 31 मार्च, 1973 तक प्राप्त हो जाने की आशा है, प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

Age Limit for Sterilisation

2078. **SHRI PAMPAN GOWDA :**
SHRI C. K. JAFFER SHARIEF :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any age limit for sterilisation ; and

(b) if so, the age so fixed ?